चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः परीक्षा / 1628
दिनांकः 22.01.2020

शीर्ष प्राथमिकता / तत्काल

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय / संस्थान,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय :– वर्ष–2020 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा केन्द्र निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 03.01.2020 के अनुपालन में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया संस्थागत एवं व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा–2020 हेतु परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–01 / 2020 / 17 / सत्तर–1–2020–16(9) / 2018, दिनांक 03.01.2020 मे प्रदान किये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में अनिवार्य रूप से सन्दर्भित सूचना सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रबन्धक द्वारा सुस्पष्ट रूप से साक्ष्यों सहित दिनांक 27.01.2020 तक परीक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि तक सन्दर्भित सूचना प्राप्त न होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
22/01/2020
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को मा० प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
6. समन्वयक / प्रभारी, सी०सी०टी०वी० कण्ट्रोल रूम, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
7. सहा० कुलसचिव / प्रभारी (सम्बद्धता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/01/2020
परीक्षा नियंत्रक

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

वर्ष–2020 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा केन्द्र निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–01/2020/ 17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018, दिनांक 03 जनवरी, 2020 के अनुपालन में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना का प्रारूप

कम सं0	वांछित सूचना का विवरण	महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना का विवरण
1	महाविद्यालय का पूरा नाम व पता(कालेज कोड सहित) ।	
2	महाविद्यालय राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित है(स्पष्ट उल्लेख करें)।	
3	महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यकम संचालित किये जाने का वर्ष ।	
4	महाविद्यालय में परास्नातक पाठ्यकम संचालित किये जाने का वर्ष ।	
5	महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तथा अद्यतन कार्यरत प्राचार्य है अथवा नहीं? **(प्राचार्य होने की स्थिति में उनका नाम व मोबाइल नं0 उल्लिखित करते हुए अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेण्ट तथा आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)** ।	
6	महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तथा अद्यतन कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या सहित सूची। **(अनुमोदित शिक्षकों का नाम व मोबाइल नं0 का उल्लिखित करते हुए अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेण्ट तथा आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)**।	
7	महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ? **(मान्यता की छायाप्रति संलग्न करें)**।	
8	महाविद्यालय में अवस्थापना सम्बन्धी समस्त सुविधाएं मानकानुसार उपलब्ध है अथवा नहीं?(स्पष्ट विवरण साक्ष्यों सहित संलग्न करे) ।	
9	महाविद्यालय के पास सुव्यवस्थित रूप में स्थापित कुल पक्के लिंटर्ड शिक्षण कक्षों की संख्या(*प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कीड़ा कक्ष को छोड़कर*) जिनमें परीक्षा सम्पादित करायी जानी है**(कमरों की साइज सहित)**।	
10	महाविद्यालय के पास सुव्यवस्थित रूप से एक पाली में अधिकतम कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा सम्पादित कराने की क्षमता है?	
11	महाविद्यालय में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के समुचित रख–रखाव के लिए कम से कम दो अलमारियों सहित स्ट्रांग रूम की व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं(यदि हॉं तो प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	
12	महाविद्यालय में पंजीकृत कुल छात्र/छात्राओं की संख्या (छात्र एवं छात्राओं की संख्या पृथक–पृथक)।	

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

वर्ष–2020 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा केन्द्र निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–01/2020/ 17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018, दिनांक 03 जनवरी, 2020 के अनुपालन में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना का प्रारूप

13	विगत तीन वर्षों में कभी भी सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र ।	
14	परीक्षार्थियों को मानकानुसार बैठने के लिए उपलब्ध कुर्सी/मेज की व्यवस्था का विवरण(संख्या सहित)।	
15	छात्र/छात्राओं के लिए अलग–अलग सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा सुरक्षित चहारदीवारी एवं प्रवेष द्वार पर लोह के गेट की व्यवस्था उपलब्ध होने के सम्बन्ध में आख्या।	
16	महाविद्यालय से निकटतम 05 महाविद्यालयों के नाम (दूरी सहित)।	
17	महाविद्यालय परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में आख्या।	
18	वर्तमान में महाविद्यालय का डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड होने अथवा न होने के सम्बन्ध में प्राचार्य का प्रमाण पत्र।	
19	महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति वर्तमान में कियाशील होने के सम्बन्ध में प्रबन्धक का प्रमाण पत्र तथा विवादित है अथवा नहीं(प्रबन्धक द्वारा आख्या उपलब्ध करायी जाय)। विश्वविद्यालय से प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का पत्र भी संलग्न करें।	
20	महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा है अथवा नहीं। यदि जुड़ा है तो सड़क मार्ग से महाविद्यालय की दूरी का उल्लेख किया जाय।	
21	अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटींग्विशर, पानी की बाल्टियों एवं रेत आदि की व्यवस्था तथा अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने के सम्बन्ध में प्राचार्य का प्रमाण पत्र।	
तकनीकी उपलब्धता का विवरण –		
22	परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या–एक कक्ष में न्यूनतम 02 व कक्ष हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरे की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी.सी.टी.वी. कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना चाहिए। परीक्षा कक्ष में वीडियो कैमरा(आडियो सहित) चालू होने के सम्बन्ध में प्राचार्य का प्रमाण पत्र।	
23	आई0पी0 बेस्ड (I.P. Based) वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कुल संख्या।	
24	प्रवेष द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में पारदर्षितापूर्ण नकलविहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिग द्वारा मानिटरिंग किये जाने के उददेष्य से वायस रिकार्डरयुक्त सी.सी.टी.वी. कैमरे के डी.वी.आर. के साथ राउटर डिवाइस अनिवार्य रूप से लगे होने का प्रमाण पत्र।	

25	वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
26	महाविद्यालय में जनरेटर की व्यवस्था है अथवा नहीं ?	
27	Internet Link for DVR/NVR.	
28	User Name with Password and Mobile No. for DVR/NVR.	
29	UPS/Inverter in ready condition for backup उपलब्ध है अथवा नहीं?	
30	Audio Mice उपलब्ध है अथवा नहीं। नोट– 1– यदि DVR 04 कैमरे का हो तो न्यूनतम Band Width 02 MBPS से 04 MBPS तक होना आवश्यक है। 2– यदि DVR 08 कैमरे का हो तो न्यूनतम Band Width 04 MBPS से 08 MBPS तक होना आवश्यक है। 1– यदि DVR 16 कैमरे का हो तो न्यूनतम Band Width 10 MBPS तक होना आवश्यक है।	
31	उपरोक्त उपकरणों के संचालन से सम्बन्धित कम्प्यूटर आपरेटर का नाम एवं मोबाइल नं0।	

हस्ताक्षर

प्राचार्य का नाम
महाविद्यालय का नाम(मुहर सहित)

विशेष– 1–उक्त सभी सूचनाएँ सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक द्वारा सुस्पष्ट रूप में साक्ष्यों सहित दिनांक 27–01–2020 उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

2– निर्धारित तिथि तक आख्या प्राप्त न होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।